14591

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 8561/21 दिनांक 21.10.2021

सेवा में,

निदेशक,
पं0 राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट,
शाहजहाँपुर।

विषयः ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाईटी द्वारा प्रस्तावित पं0 राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट, शाहजहाँपुर में डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एण्ड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आर्थोपैडिक एण्ड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की सम्बद्धता/मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–834/71–4–2021–एन–8/2016 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत अनापित्त/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके प्रशिक्षण केन्द्र में **डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एण्ड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आर्थोपैडिक एण्ड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन** प्रशिक्षणों में 30–30 छात्र (प्रत्येक प्रशिक्षण 30 छात्र) प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्वता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

<u>प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें –</u>

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

...... 2

Scanned with CamScanner

3. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से शासकीय मेडिकल कालेजों में अधिकतम रुपया 24,000/- (चौबीस हजार रुपया) प्रतिवर्ष (रुपया 2,000/- प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क के रूप में तथा प्रवेश के समय रुपया 2,000/- पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जा रहा है।

4. **डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एण्ड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आर्थोपैडिक एण्ड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन** प्रशिक्षणों में प्रवेश हेतु उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा आयोजित ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को चयनित कर भेजा जायेगा। जैसा कि अन्य शासकीय मेडिकल कालेजों के प्रशिक्षण केन्द्र हेतु किया जा रहा है, इस संबंध में शासन के निर्देश अन्तिम होंगे।

5. प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तिथि का निर्धारण निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। परीक्षाओं का संपादन संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित परीक्षा तिथि में सम्पन्न कराकर मूल्यांकन इत्यादि करके इस कार्यालय को प्रेषित करें। सिलेबस की प्रति संलग्न है।

6. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

7. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

8. प्रबन्धकीय कोटे की निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

9. सम्बद्धता शुल्क रु. 15,000/- प्रतिवर्ष प्रति कोर्स इस कार्यालय में जमा कराया जाता है, किन्तु यह प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय क्षेत्र का होने के नाते इसे शुल्क से मुक्त किया जाता है।

10. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ाई जायेगी।

11. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेंगे, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गयी मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

12. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट **www.upsmfac.org** से **Link** कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके।

...... 3

Scanned with CamScanner

13. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।

14. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

ASMC Shahjehanpur - 08 courses

Scanned with CamScanner